संख्या-898/2026/2419/22-2-2025-17(819)/2025

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश मिश्र,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ,दिनांक: 06 जुलाई, 2026

विषय:- केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी पप्पू उर्फ कमल पुत्र श्री नत्थू सिंह, निवासी जनपद-गाजियाबाद वर्तमान निवासी जनपद- गौतमबुद्धनगर की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वरिष्ठ अधीक्षक(मु0), कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या-43618/प्रोवेशन-3-फार्म-ए/(एम-14.11.2025) दिनांक-27-11-2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी पप्पू उर्फ कमल पुत्र श्री नत्थू सिंह, जो दुधई, थाना-मुरादनगर, जनपद-गाजियाबाद हाल पता-म0न0-सी 34, श्रमिक कुंज, सैक्टर- 110, गौतमबुद्धनगर का निवासी है। दिनांक 21-06-2008 को बन्दी ने वादी की पुत्री कु० आरती को यह कहते हुये की तुम किस लड़के के साथ पीछे ब्लाक में गयी थी और अपशब्द बोलते हुये चाकू से मारकर हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को एस०टी नं0-639/2008, भा0द0वि0 की धारा-302 में मा० न्यायालय विशेष न्यायाधीश (एस0सी0/एस0टी0 एक्ट) अपर सत्र न्यायाधीश, गौतमबुद्धनगर के आदेश दिनांक 05-07-2010 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 10.08.2023 तक अपरिहार 15 वर्ष, 01 माह, 18 दिन तथा सपरिहार 17 वर्ष, 09 माह, 29 दिन की सजा भोगी गयी है।

3- जिला प्रोबेशन अधिकारी, अपर पुलिस उपायुक्त एवं जिला मजिस्ट्रेट गाजियाबाद द्वारा शासनादेश संख्या-1658/22-2-2004-25(94)/97, दिनांक 06.09.2004 के प्रस्तर-9-(2) के प्राविधान के अनुरूप 05 बिन्दुओं (जो लक्ष्मण नास्कर बनाम यूनियन आफ इण्डिया, 2000 क्रि०एल० जे० 1471 में मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्देशित किया गया) पर परीक्षण कर आख्या प्रेषित की गई है, जिसमें बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, कारित अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, बंदी द्वारा पुन: अपराध किये जाने की संभावना होने, बंदी पुन: अपराध करने में अशक्त नहीं होने, बंदी को जेल में और आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने के दृष्टिगत बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

4- उक्त बंदी के समयपूर्व रिहाई के प्रकरण पर प्रोबेशन बोर्ड द्वारा विचार किया गया। जिला प्रोबेशन अधिकारी, अपर पुलिस उपायुक्त एवं जिला मजिस्ट्रेट की आख्या एवं प्रोबेशन बोर्ड की संस्तुति सहित सिद्धदोष बंदी पप्पू उर्फ कमल पुत्र श्री नत्थू सिंह की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के प्रकरण को सक्षम स्तर(श्री राज्यपाल) के निर्णय हेतु प्रस्तुत किया गया।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

5- अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी पप्पू उर्फ कमल (बन्दी संख्या-15657) पुत्र श्री नत्थू सिंह, निवासी जनपद-गाजियाबाद वर्तमान निवासी जनपद- गौतमबुद्धनगर को यू०पी० प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की फार्म-ए/लाइसेंस पर मुक्ति सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतदद्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,
सूर्य प्रकाश मिश्र
संयुक्त सचिव।

संख्या-898/2026/2419(1)/22-2-2025 तद्दिनांक...

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, गाजियाबाद/गौतमबुद्धनगर।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, आगरा।
3- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
5- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
कमलेश कुमार
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-898/2026/2419/22-2-2025-17(819)/2025

दिनांक: 06 जुलाई, 2026 का संलग्नक

सरकार के आदेश

केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी पप्पू उर्फ कमल पुत्र श्री नत्थू सिंह, जो दुधई, थाना-मुरादनगर, जनपद-गाजियाबाद हाल पता- म0न0-सी 34, श्रमिक कुंज, सैक्टर- 110, गौतमबुद्धनगर का निवासी है। दिनांक 21-06-2008 को बन्दी ने वादी की पुत्री कु० आरती को यह कहते हुये की तुम किस लड़के के साथ पीछे ब्लाक में गयी थी और अपशब्द बोलते हुये चाकू से मारकर हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को एस०टी नं0-639/2008, भा0द0वि0 की धारा-302 में मा० न्यायालय विशेष न्यायाधीश (एस0सी0/एस0टी0 एक्ट) अपर सत्र न्यायाधीश, गौतमबुद्धनगर के आदेश दिनांक 05-07-2010 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 10.08.2023 तक अपरिहार 15 वर्ष, 01 माह, 18 दिन तथा सपरिहार 17 वर्ष, 09 माह, 29 दिन की सजा भोगी गयी है।

जिला प्रोबेशन अधिकारी, अपर पुलिस उपायुक्त एवं जिला मजिस्ट्रेट गाजियाबाद द्वारा शासनादेश संख्या-1658/22-2-2004-25(94)/97, दिनांक 06.09.2004 के प्रस्तर-9-(2) के प्राविधान के अनुरूप 05 बिन्दुओं (जो लक्ष्मण नास्कर बनाम यूनियन आफ इण्डिया, 2000 क्रि०एल० जे० 1471 में मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्देशित किया गया) पर परीक्षण कर आख्या प्रेषित की गई है, जिसमें बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, कारित अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, बंदी द्वारा पुन: अपराध किये जाने की संभावना होने, बंदी पुन: अपराध करने में अशक्त नहीं होने, बंदी को जेल में और आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने के दृष्टिगत बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त बंदी के समयपूर्व रिहाई के प्रकरण पर प्रोबेशन बोर्ड द्वारा विचार किया गया। जिला प्रोबेशन अधिकारी, अपर पुलिस उपायुक्त एवं जिला मजिस्ट्रेट की आख्या एवं प्रोबेशन बोर्ड की संस्तुति सहित सिद्धदोष बंदी पप्पू उर्फ कमल पुत्र श्री नत्थू सिंह की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के प्रकरण को सक्षम स्तर(श्री राज्यपाल) के निर्णय हेतु प्रस्तुत किया गया।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा बन्दी की फार्म-ए/लाइसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

सूर्य प्रकाश मिश्र
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।